



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53407

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8410 वर्ष 2026

मकखन सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार गुप्ता, भृगुराम जी, देव व्रत पांडेय, धर्मेन्द्र यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि याची इस याचिका पर बल नहीं देना चाहता है और इसे बल न दिए जाने के कारण खारिज कर दिया जाए।
2. उपरोक्त निवेदन के दृष्टिगत, रिट याचिका को बल न दिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 13, 2026

पी.पी.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।